विज्ञप्ति

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्रांक सं0 **6221 / एडमिन 'जी-1'/ 2019, इलाहाबाद दिनांकित 14-05-2019** के अनुपालन में परिवार न्यायालय में परामर्शदाता की नियुक्ति की जानी है, जिसके के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या -102/ सात - न्याय - 2-2015-728/86 न्याय अनुभाग 2 अधीनस्थ न्यायालय लखनऊ दिनांक 18 जून 2015 के द्वारा निम्न अर्हता प्राप्त व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

1- आवेदक **समाज शास्त्र या मनोवैज्ञानिक** में से किसी **एक विषय में से स्नातक की डिग्री रखता हो** और **समाज सेवा** का अनुभवी हो। **जो आवेदक सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री धारक हो** और **पारिवारिक काउन्सिलिंग में दो वर्ष का अनुभव रखता हो, उसे वरीयता दी जायेगी।**

2- आवेदक की आयु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक को **35 वर्ष से 65** वर्ष के मध्य हो।

3- परामर्शदाता का कार्यकाल **तीन वर्ष का होगा।**

4- परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति शासकीय सेवा में नियुक्ति नहीं मानी जायेगी और वे न्यायालय से **संविदा** के आधार पर सम्बद्ध रहेंगे।

5- नियुक्त परामर्शदाता को **शासनादेश के अनुसार नियत मानदेय देय होगा।**

जो पुरुष अथवा महिला इस पद पर नियुक्त होने के इच्छुक हों, वे अपना आवेदन पत्र अपने शैक्षिक एवं अनुभव प्रमाण पत्रों की छायाप्रति सहित दिनांक 30-05-2019 तक प्रशासनिक कार्यालय जिला जजी, सहारनपुर में पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से प्रेषित कर सकते हैं।

16/05/19

(अनामिका चौहान)
प्रभारी अधिकारी प्रधान न्यायधीश,
परिवार न्यायालय, जिला जजी
सहारनपुर।

प्रतिलिपि:-

1- मुख्य साध्यपाल जिला जजी, सहारनपुर को इस आशय से प्रेषित की वह उक्त आदेश की प्रतिलिपि प्रशासनिक कार्यालय जिला जजी सहारनपुर के नोटिस बोर्ड पर, बार ऐसोसिएशन सिविल कोर्ट सहारनपुर, बार ऐसोसिएशन कलैक्ट्रेट सहारनपुर व बाह्य न्यायालय देवबन्द, नकुड, रामपुर व बेहट के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराना सुनिश्चित करें।

2- जिला सूचना अधिकारी सहारनपुर को स्थानीय समाचार पत्र में नि:शुल्क प्रकाशन हेतु।

3- सिस्टम ऑफिसर, कम्प्यूटर अनुभाग, जिला जजी सहारनपुर को इस आशय से प्रेषित हो कि वह उक्त आदेश की प्रतिलिपि को जनपद न्यायपीठ सहारनपुर व माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

16/05/19

(अनामिका चौहान)
प्रभारी अधिकारी प्रधान न्यायधीश,
परिवार न्यायालय, जिला जजी
सहारनपुर।